प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक-18.09.2025**

- **थाना रनियाँ पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुये 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 141 बोरी कपिला पशु आहार मय डीसीएम के किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक/चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 05.09.2025 को कपिला पशु आहार फैक्ट्री रनियाँ से 240 बोरी कपिला पशु आहार चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.09.2025 को वादी द्वारा थाना रनियाँ पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 161/2025 धारा 303(2)/316(2) बीएनएस बनाम कैफी अहमद पुत्र रहीस निवासी सत्तीश्वर ताकिया थाना कोतवाली जनपद औरैया के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 316(2) बीएनएस को, धारा 316(3) बीएनएस में तरमीम किया गया। दिनांक 17.09.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त कैफी अहमद उपरोक्त को बारा टोल प्लाजा से पहले थाना क्षेत्र रनियाँ से मय डीसीएम व 40 बोरी कपिला पशु आहार के साथ गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त आशीष कुमार विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश निवासी मुरादगंज, थाना अजीतमल, जनपद औरैया को जनपद औरैया से 101 बोरी कपिला पशु आहार के साथ नामजद अभियुक्त कैफी अहमद उपरोक्त की निशानदेही पर दिनांक 18.09.2025 को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त कैफी अहमद उपरोक्त ने बताया कि जो डी.सी.एम. नं0 UP78DT5916 आपने बरामद की यह मेरे चाचा अनीस अहमद पुत्र रफीक अहमद के नाम पर है, जिसको मै चलाता हूँ। दिनांक 29.08.2025 को कपिला पशु आहार फैक्ट्री रनिया से 240 बोरी कपिला पशु आहार डीलर वेद पशु सेवा एवं फूड्स इनाम गाँव पुणे, महाराष्ट्र ले जाने के लिये लोड कराया। दिनांक 05.09.2025 को मै गाडी लेकर इनाम गाँव, पुणे, महाराष्ट्र के लिये निकला था मेरे मन में लालच आ गया और मैने हाइवे टोल प्लाजा बारा, अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात के पहले रनियाँ से अकबरपुर की तरफ जाने वाली हाइवे पट्टी पर पेट्रोल पम्प के पास हाइवे के किनारे डी.सी.एम गाडी चोरी से माल बेचने की नियत से खडी कर दी थी, माल को चोरी से बेचने के उद्देश्य से पूर्व परिचित आशीष कुमार विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश निवासी कस्वा मुरादगंज थाना अजीतमल जिला औरैया से सम्पर्क कर गाडी में लदे माल में से 101 बोरी कपिला पशु आहार 90 हजार रुपये में सौदा तय कर बेच दिया था, जिसमें से मुझे आशीष कुमार विश्नोई ने साठ हजार रुपये दे दिया था। बाकी पैसे बाद में देने की बात कही थी एवं कुछ कपिला पशु आहार की बोरिया मैंने हाइवे पर आने-जाने वाले लोगों से सम्पर्क करके दो-दो चार-चार बोरी करके फुटकर में कम दामों में बेच दिया था। मुझे उनके नाम,पता नहीं मालूम हैं। 40 बोरी शेष बची थी जो आपको डीसीएम में मिली है। मैने आपके साथ औरैया चलकर आशीष कुमार विश्नोई को बेचा हुया माल 101 बोरी कपिला पशु आहार भी बरामद करा दिया है। कपिला पशु आहार बेचने से जो पैसा मुझे मिला वह सारा मेरी पत्नी की डिलीवरी में खर्च हो गया है। आशीष कुमार विश्नोई उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मैं कैफी अहमद को पहले से जानता व पहचानता था। कैफी अहमद ने मुझसे सम्पर्क कर कपिला पशु आहार की बोरी कम पैसे में बेचने की बात कही, तो मैने पैसों के लालच में आकर कैफी अहमद से 101 बोरी कपिला पशु आहार 90 हजार रुपये में खरीद लिया था

जिसमें से 60 हजार रुपये मैने कैफी अहमद को दे दिये थे और शेष रुपये बाद में देने के लिये कहा था। मैनें कैफी अहमद से खरीदी गयी कपिला पशु आहार की बोरी सब्जी मण्डी बाजार कस्बा मुरादगंज थाना अजीतमल जनपद औरैया में बनी अपनी गोदाम में रखी थी जो आपको बरामद करा दी हैं।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. कैफी अहमद पुत्र रहीश अहमद, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी सत्तीश्वर ताकिया, थाना कोतवाली, जनपद औरैया।
2. आशीष कुमार विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश, उम्र करीव 38 बर्ष, निवासी कस्बा मुरादगंज, थाना अजीतमल, जनपद औरैया।

अभियुक्त कैफी अहमद उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

01 डीसीएम नं0 UP78DT5916 जिससे कपिला पशु आहार माल ले जाया गया एवं 40 बोरी कपिला पशु आहार।

अभियुक्त आशीष कुमार विश्नोई उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

101 बोरी खरीदा गया कपिला पशु आहार।

अभियुक्त कैफी अहमद उपरोक्त आपराधित इतिहास-

1. मु0अ0स0 0031/19 धारा 363/366 भादवि0 थाना कोतवाली, जनपद औरैया।
2. मु0अ0स0 0562/2019 धारा 279/338 भादवि0 थाना कोतवाली, जनपद औरैया।
3. मु0अ0स0 0638/20 धारा 489ए/489बी/489सी/489डी भादवि0 थाना कोतवाली, जनपद औरैया।
4. 030/2021 धारा 3(1) गैं0 एक्ट थाना कोतवाली, जनपद औरैया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रनियाँ पुलिस।